

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक गंगपुरसिटी(राज0)

## :: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक कीर्ति पत्नी परीक्षा-2022 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान वीकानेर के पत्रांक- शिविरा-मा/संस्था/एफ-1 /12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-2022 दिनांक 02-09-2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को दिनांक 09-09-2023 को आयोजित परामर्श कैंप के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर विद्यालय आवंटित किए गए थे।

उक्त में से निम्नलिखित ऐसे अभ्यर्थियों जिनके **SPECIAL COMMENT** के कॉलम में **ONLY COUNSELING** अंकित है, इन्हें निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान वीकानेर के पत्रांक- शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/ 2021-2022 दिनांक 23-09-2023 के अनुसरण में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-10 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/-रु. (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह/विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियों की जावेगी।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण ( प्रोवेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेन्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

**सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-**

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर ले की जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर कार्यग्रहण करें, एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धित नवीनतम सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं है।
3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से उसकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7 (1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सम्बन्धित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धित प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबन्धी आशय का मात्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.7(13)कार्मिक/क-2/23दिनांक 11.05.2013 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
8. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व: घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे की यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो की "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र माता-पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामलों में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने माता-पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। तथा उसके सम्बंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
13. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटि पूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।  
इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 17-10-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इन्हें शालादर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।  
संलग्न :- आदेश संख्या 01 (पृष्ठ संख्या 01)

(गंगासहाय मीना)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक  
गंगापुरसिटी(राज0)  
दिनांक:-26.09.2023

क्रमांक:-जिशिअ/मुख्या/माशि/गंगापुरसिटी/संस्था-1/फा.नियु.शाशिअध्यापकसीधीमर्ती/2022/2023/160  
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-








01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
04. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
05. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2 विभाग), राजस्थान, जयपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
07. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
08. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर, सम्भाग - भरतपुर।
09. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सवाई माधोपुर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान.....
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किए जा रहे हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
12. सम्बन्धित अभ्यर्थी .....(पंजीकृत डाक द्वारा)
13. सिस्टम एनालिस्ट संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

(गंगासहाय मीना)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक  
गंगापुरसिटी(राज0)

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक नंगपुर सिटी  
जि.शिक्ष / मुख्या / माध्य / नंगपुर सिटी / संस्था-1 / सी.नं. / पीटीआई / 2021-22 / 2023 / 160 (बयोमेट्रिक आवेदन)

दिनांक : 28-09-2023

आदेश संख्या - 03

SINO	ROLLNO	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	ADDRESS	POSTING PALACE	BLOCK	PHOTO
1	723628	3285	SANTOSH JAT	PRBHU DAYALJAT	24-Apr-94	Female	OBC	—	OBC	VPO JAJCHANDPURA VIA GATHWARI TEL JAMWARANGARH District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GANGAI KI KOTHI (515420)(08100316102)	GANGAPUR CITY	
2	714069	3785	KAVITA RUNDLA	CHHAU RAM RUNDLA	02-May-97	Female	OBC	—	OBC	DHANI - SHYAMWALI, VILLAGE- JAE KALAN TEHSIL - SHAHPURA DISTRICT-JAIPUR District JAIPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GANGAPUR CITY (217848)(08100320401)	GANGAPUR CITY	
3	731677	3937	ANITA CHOUDHARY	GIRADHARI LAL CHOUDHARY	08-Jul-00	Female	OBC	—	OBC	HEMAWALI DHANI POST- MAHA-PURA SANGANER District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL G. U. P. S. SHAPUR (464571)(08100306201)	GANGAPUR CITY	
4	743579	4049	SOHANI CHOUDHARY	HARSAHAY JAT	15-Jun-99	Female	OBC	—	OBC	WARD NO 1 DHANI-KAKDAWALI VILLAGE-SHAHPURA District JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHOCHH (212737)(08100105001)	BAMANWAS	
5	709217	4508	SARBO MEENA	CHETRAM MEENA	05-Jul-97	Female	ST	—	ST	VPO- BAMANWAS PATTI KALAN TEH- BAMANWAS - District SAWAIMADHPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MAWAD KISHANPURA (408984)(08100115901)	BAMANWAS	
6	714763	2228	SUMER SINGH PALSANIYA	JAGDISH PRASAD PALSANIYA	01-Apr-87	Male	OBC	—	OBC	DHANI DASA WAU WARD NO 18 SHAPURA District JAIPUR	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SITAPURA (410285)(08100105601)	BAMANWAS	
7	712411	2566	RAMAN	RAJENDRA	01-Jul-93	Male	OBC	—	OBC	C-128-129 CIVIL LINE WARD NO. 1 District HANUMANGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAVAGAON (401077)(08100309901)	GANGAPUR CITY	

(नंगा सहस्रय भनी)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय माध्यमिक)  
नंगपुर सिटी